"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 212] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 24 मई 2016 — ज्येष्ठ 3, शक 1938

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-110/तीन (दो)/न. पा./व्यय लेखा/2015/648 रायपुर, दिनांक 20 मई 2016

1. श्री अजय कुमार मेश्राम, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ. ग.
2. श्री विष्णु राम महोबिया, अभ्यर्थी महापौर पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव, छ. ग.

आदेश

(छ. ग. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 20 मई 2016

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव के प्रतिवेदन दिनांक 11 फरवरी 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर पद के लिये आम निर्वाचन में कुल 13 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने ज्ञापन दिनांक 11 फ़रवरी 2015 के साथ निर्धारित प्रपत्र में जानकारी संलग्न कर प्रतिवेदित किया है कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव के आम निर्वाचन 2014 में महापौर पद के अभ्यर्थियों में से अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया को दिनांक 16-4-2015 को अधिनियम की धारा 14-ग सहपठित धारा 14-क एवं 14-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 14-ग के अन्तर्गत कार्यवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए निर्वाचन लड़ने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाये. कारण बताओ सूचना उपरोक्त अभ्यर्थी अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया को दिनांक 3-5-2015 को सम्यक् रूप से तामील की गई. अभ्यर्थी अजय कुमार मेश्राम को कारण बताओ सूचना सम्यक् रूप से तामील होने पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थी अजय कुमार मेश्राम को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तद्नुसार उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. अभ्यर्थी विष्णु राम महोबिया ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब 15-5-2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी राजनांदगांव को व्यय लेखा का विवरण प्रस्तुत किया था. जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा इसे संज्ञान में नहीं लिया गया; जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निर्वाचन कार्यालय की है. व्यय लेखा संबंधी विवरण में त्रुटि अथवा विलंब के सन्दर्भ में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उन्हें कोई भी पत्र नहीं दिया गया है. उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन एवं हस्त पुस्तिका में निर्धारित अवधि में व्यय लेखा जमा नहीं करने संबंधित दी गई जानकारी असत्य है. उनके द्वारा निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित अवधि में व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था. अभ्यर्थी द्वारा प्रकरण में कार्रवाई करने के पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को अंगीकार करते हुए सत्यापन कराया जाकर नस्तीबद्ध करने का अनुरोध भी किया गया. अभ्यर्थी के जवाब के सन्दर्भ में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा पत्र क्रमांक 544/ए. एस. स्था. नि./2014, दिनांक 20-8-2014 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थी विष्णु राम महोबिया द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दो दिन विलंब से दिनांक 5-2-2015 को दाखिल किया गया है. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) द्वारा उक्त विलंब को साधारण त्रुटि मानते हुए कार्रवाई समाप्त करने की अनुशंसा भी की गई है. आयोग द्वारा अभ्यर्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 9 मार्च 2016 को आहूत किया. अभ्यर्थी विष्णु राम महोबिया निर्धारित सुनवाई दिनांक को सूचना उपरान्त भी अनुपस्थित रहे. अत: यह मानते हुए कि अभ्यर्थी को अपने पक्ष समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

5. प्रकरण से सम्बन्धित सुसंगत अभिलेखों का परिशीलन किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव ने प्रतिवेदित किया है कि अभ्यर्थियों अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया ने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित अवधि में विहित रीति से प्रस्तुत नहीं किया है. यह अधिनियम की धारा 14-क (1) एवं 14-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 14-क (1) निम्नानुसार है :

"**14-क. निर्वाचन व्ययों का लेखा.**- (1) महापौर के निर्वाचन में प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

इससे स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 14-क (1) की अपेक्षानुसार महापौर पद के निर्वाचन में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन व्ययों का प्रतिदिन का लेखा रखा जाना अनिवार्य है. अधिनियम की धारा 14-ख निम्नानुसार है :

"**धारा 14-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना.**-महापौर के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से तीस दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 14-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अधिनियम की धारा 14-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से तीस दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2012 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी को अधिसूचित अधिकारी नामोद्दिष्ट किया गया है. अत: उक्त व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाना था. उक्त जानकारी 3 फरवरी 2015 तक प्रस्तुत करना था.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) राजनांदगांव के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से सम्बंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव के महापौर पद के आम निर्वाचन 2014 में भाग लेने वाले अभ्यर्थी अजय कुमार मेश्राम द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा अधिनियम की धारा 14-क (1) तथा धारा 14-ख की अपेक्षानुसार अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति से स्वयं के शपथ-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. इस असफलता के लिए उन्होंने कोई कारण अथवा न्यायोचित्यता रखने की सूचना भी नहीं दी. प्रकरण में अन्य अभ्यर्थी विष्णु राम महोबिया ने आयोग द्वारा जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उनके द्वारा व्यय लेखा संबंधी विवरण में त्रुटि अथवा विलंब के सन्दर्भ में जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा उन्हें पत्र नहीं दिये जाने का उल्लेख किया गया. उन्होंने यह भी दर्शाया कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतिवेदन एवं हस्त पुस्तिका में निर्धारित अवधि में व्यय लेखा जमा नहीं करने संबंधित दी गई जानकारी असत्य है तथा उनके द्वारा निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित अवधि में व्यय लेखा प्रस्तुत किया गया था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) ने जानकारी दिया है कि अभ्यर्थी विष्णु राम महोबिया द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दो दिन विलंब से दिनांक 5-2-2015 को दाखिल किया था. इस पर अभ्यर्थी को आयोग द्वारा सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया था परन्तु अभ्यर्थी सूचना प्राप्ति के उपरान्त भी निर्धारित तिथि को अनुपस्थित रहा. अत: मुझे यह समाधान हो गया है अभ्यर्थीगण अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा उक्त अभ्यर्थीगण इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 14-ग के प्रावधान अनुसार उपरोक्त अभ्यर्थियों अजय कुमार मेश्राम एवं विष्णु राम महोबिया को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 14-ग (ख) में वर्णित कोई न्यायोचित्यता नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से चार वर्ष सात माह की कालावधि के लिये नगर पालिक निगम के महापौर या पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 14-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 20 मई 2016 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(पी. सी. दलेई)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.